भोजपुर समाहरणालय { राजस्व प्रशाखा}, आरा।

सैरात आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित जलकर/हाट बाजार/घाटों की बन्दोबस्ती वर्ष 2021–22 (01.04.2021 से 31.03.2022 तक) के लिए समाहर्त्ता/अपर समाहर्त्ता, भोजपुर, आरा के कार्यालय कक्ष में खुली डाक से दिनांक 01.10.2021 को 11:00 बजे पूर्वाहन में की जायेगी। किसी कारणवश निर्धारित तिथि को डाक नहीं होने पर पुनः बन्दोबस्ती संबंधित डाक दिनांक–04.10.2021, 05.10.2021 एवं 08.10.2021 को निर्धारित समय पर की जायेगी,। बन्दोबस्ती की जाने वाली सैरातों की विवरणी निम्नवत है :–

क्र0	सैरात का नाम	वार्षिक सुरक्षित जमा राशि	शेष अवधी के लिए समानुपातिक राशि	जमानत राशि (रू0)
1	2	3	4	5
1	सुहिया भागड़	2817500	1408750	140875
2	विहियाँ बाजार	997165	498583	49858
3	शाहपुर बाजार	516164	255833	25583
4	करनामेपुर बाजार	586500	293250	29325
5	आरा गांगी, केशोपुर अलेखी, बबुरा, सिन्हा आदि घाट समूह	825936	412968	41297

जिसके लिए निम्नलिखित शर्तें होंगी :–

1. क्रमांक 1 पर अंकित सुहिया भागड़ जलकर की बंदोबस्ती हेतु यदि मत्स्यजीवी सहायोग समिति सुरक्षित जमा राशि पर बंदोबस्ती लेने के लिए इच्छुक होगी तो उक्त सैरात की बंदोबस्ती समिति के साथ की जाएगी अन्यथा बंदोबस्ती खुली डाक से की जाएगी।
2. डाक वक्ता को खुली डाक में भाग लेने से पूर्व अंचलाधिकारी/अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त आवासीय प्रमाण पत्र एवं पुलिस अधीक्षक, भोजपुर द्वारा निर्गत आचरण एवं पूर्ववृत के संबंध में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के साथ–साथ सुरक्षित जमा राशि का 10 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट जमानत के रूप में जमा करना होगा। जिन व्यक्ति का डाक स्वीकृत नहीं होगा, उसकी जमानत की राशि डाक समाप्ति के तुरन्त बाद लौटा दी जायेगी।
3. साधारणतः बन्दोबस्ती सर्वोच्च डाक वक्ता के साथ ही की जायेगी, लेकिन बिना कोई कारण बताये बन्दोबस्ती रद्द करने का अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को होगा।
4. डाक वक्ता को डाक में भाग लेने के लिए वर्णिज्यकर विभाग से GST का निबंधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. पीठासीन पदाधिकारी को यह भी अधिकार होगा कि वे डाक मंजूरी करने से पहले डाक वक्ता की माली हालत एवं हैसियत का पता लगा लें। डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति से सरकारी राजस्व बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी/जिला स्तर के किसी पदाधिकारी से प्राप्त करना होगा।
6. बकायेदार व्यक्ति/समितियाँ डाक में भाग नहीं ले सकती, जबतक कि बकाये राशि जमा नहीं कर देते हैं।
7. बन्दोबस्ती को रद्द करने एवं पुनः डाक कराने का अधिकार पीठासीन पदाधिकारी को होगा।
8. डाक वक्ता को बंदोबस्ती लेने के पश्चात् बोली गई सम्पूर्ण राशि के साथ निबंधन एवं स्टॉम्प शुल्क की राशि भी जमा करनी होगी।
9. महामारी, वर्षा, बाढ़ या सुखाड़ के कारण हुई क्षति में ठेकेदार को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी।
10. निर्धारित समय पर बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं करने पर जमानत की राशि जप्त कर ली जाएगी तथा अन्य व्यक्ति के साथ बन्दोबस्ती कर दी जायेगी ।
11. मत्स्यजीवी सहयोग समिति/स्वावलम्बी सहयोग समिति को सक्षमता के लिए अपेक्षित प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
12. डाक में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति विशेष जानकारी जिला राजस्व प्रशाखा से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।

15/09/21

समाहर्त्ता,
भोजपुर आरा।